न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **103/2020**

GCMS No. : **2020/00273**

–:: **वादीगण** ::–	बनाम	–:: **प्रतिवादी** ::–
1. बुद्धाराम पुत्र कालूराम 2. छोटूराम पुत्र कालूराम 3. दाकूड़ी देवी बेवा कालूराम जाति रेगर निवासी पाटन (बगतपुरा मण्डी), तहसील –जैतारण, जिला–पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू :–22/10/2020

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 23/06/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय में वादीगण व अन्य खातेदारान् की शामलाति खातेदारी भूमि खाता संख्या 62 के खसरा संख्या 3062 रकबा 33–05 बीघा, खसरा संख्या 3063 रकबा 0–04 बीघा गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 3064 रकबा 02–05 बीघा, खसरा संख्या 3065 रकबा 01–18 बीघा, खसरा संख्या 3066 रकबा 02–06 बीघा, खसरा संख्या 3067 रकबा 01–12 बीघा, खसरा संख्या 3068 रकबा 02–02 बीघा, खसरा संख्या 3071 रकबा 09–18 बीघा, खसरा संख्या 3073 रकबा 12–19 बीघा, खसरा संख्या 3074 रकबा 10–19 बीघा कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 77–08 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण माफिक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। सरहद मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय में वादीगण एवं अन्य खातेदार की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 93 के खसरा संख्या 2870 रकबा 08–18 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि में वादीगण माफिक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादपत्र के पद संख्या 01 व 02 में दर्ज कृषि भूमि में अन्य खातेदारान् के विरुद्ध कोई अनुतोष नही होने से वाद में पक्षकार नही बनाया है। वादपत्र के पद संख्या 01 व 02 में दर्ज कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है जिसमें वादीगण के दादा हजारी पुत्र हरजी की मृत्यु होने पर तत्कालीन रेवेन्यू एजेंसी प्रटवारी व आर आई तथा सरपंच ग्राम पंचायत रास ने म्युटेशन संख्या 925 दिनांक 27.02.1[illegible] को मांगू पुत्र हजारी के नाम स्वीकृत किया जो गलत एवं गैर कानूनी है। उक्त म्यूटेशन पारित करते समय रेवेन्यू एजेंसी व तत्कालीन सरपंच ने वादीगण को [illegible] किए व नोटिस दिए स्वीकृत किया जो गलत व वादीगण के हितो के विरुद्ध है। म्युटेशन संख्या 925 अपास्त होने योग्य है। उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने के बाद जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 व 2032 से 2035 तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की जमाबंदी में मांगू पुत्र हजारी का नाम ही इन्द्राज चला आ रहा है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

हजारी के पुत्र मांगु के स्थान पर कालूराम सही नाम है। कालूराम पुत्र हजारी के नाम के राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेजात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (जॉब कार्ड), भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन प्रमाण पत्र, भारतीय स्टेट बैंक ब्यावर द्वारा जारी पासबुक, विद्युत विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल में, परिवार राशन कार्ड में भी कालूराम पुत्र हजारी नाम इन्द्राज है। तथा कालूराम के विधिक वारिसान दाकूडी देवी बुधाराम, छोटूराम के नाम जारी सरकारी दस्तावेजात् पहचान पत्र, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड आदि में पति व पिता का नाम कालूराम ही इन्द्राज है। तथा कालूराम की मृत्यु होने पर रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत बगतपुरा मण्डी द्वारा जारी किया जिसमें भी कालूराम पुत्र हजारीराम का नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में मांगू पुत्र हजारी का नाम इन्द्राज रहता है तो वादीगण अपनी कृषि भूमि बैंक से ऋण नही ले सकते है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी समय समय पर योजना का लाभ भी प्राप्त नही कर सकते है तथा उनसे वंचित रहते है। दिन प्रतिदिन आर्थिक हानि होती है वादीगण स्वयं ने तथा उसके पिता कालूराम ने प्रतिवादी को कालूराम पुत्र हजारीराम नाम को संशोधन करने बाबत् कहा तो कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया। वादीगण ने दिनांक 25.09.2020 को प्रतिवादी के कार्यालय मे प्रार्थना पत्र देकर पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में संशोधन करने बाबत् निवेदन करने पर उन्होने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् कहा तब वादीगण ने अपने पिता का नाम कालूराम पुत्र हजारीराम करने बाबत् यह घोषणा का वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25.09.2020 को वादीगण ने प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र देकर अपने पिता का नाम कालूराम संशोधन करने बाबत् कहा तो इंकार हुए व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् कहने पर बमुकाम पाटन जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश की, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में कथन किया जिसके अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प बगतपुरा मण्डी में दिनांक 01.12.2021 को जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम जरिए नामान्तरण संख्या 925 ग्राम रास दिनांक 27.02.1974 प्रार्थी के दादा हजारी पुत्र हरजी के विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय मांगू, पेमा, भीका, थाना पि0 हजारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। मजमें आम में जांच करने पर उपस्थित मौतबिरान एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पाटन के [illegible] 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3071, 3073, [illegible] दर्ज नाम मांगू पुत्र हजारी के स्थान पर ''कालूराम पुत्र हज[illegible] अनुशंषा की जाती है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश किए तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाए। अधिवक्ता वादी तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी पैराकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाटन में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 62 के खसरा संख्या 3062 रकबा 33–05 बीघा, खसरा संख्या 3063 रकबा 0–04 बीघा गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 3064 रकबा 02–05 बीघा, खसरा संख्या 3065 रकबा 01–18 बीघा, खसरा संख्या 3066 रकबा 02–06 बीघा, खसरा संख्या 3067 रकबा 01–12 बीघा, खसरा संख्या 3068 रकबा 02–02 बीघा, खसरा संख्या 3071 रकबा 09–18 बीघा, खसरा संख्या 3073 रकबा 12–19 बीघा, खसरा संख्या 3074 रकबा 10–19 बीघा कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 77–08 बीघा तथा खाता संख्या 93 के खसरा संख्या 2870 रकबा 08–18 बीघा जिसके वर्तमान भू अभिलेख में खातेदार मांगू पुत्र हजारी दर्ज है जो गलत इन्द्राज है, जो काबिल दुरूस्त है। वादीगण के दादा हजारी पुत्र हरजी की फौत होने पर विरासतन नामान्तरण संख्या 925 दिनांक 27.02.1974 को मांगू पुत्र हजारी के नाम स्वीकृत किया गया, जो गलत है जबकि उक्त नामान्तरण कालूराम पुत्र हजारी के नाम स्वीकृत होना चाहिए था। वादीगण ने अपने पिता व पति कालूराम पुत्र हजारी के नाम के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेज यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (जॉब काडी), भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन प्रमाण पत्र, भारतीय स्टेट बैक ब्यावर द्वारा जारी पासबुक, विद्युत विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल में, परिवार राशन कार्ड तथा कालूराम की मृत्यु होने पर रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत बगतपुरा मण्डी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए। अतः वादीगण के पिता व पति का नाम मांगू पुत्र हजारी के स्थान पर सही नाम कालूराम पुत्र हजारीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

2. प्रकरण में नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा तथ्यात्मक जवाबदाव प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प बगतपुरा मण्डी दिनांक 01.12.2021 को में मजमें आम में जांच करने पर पाया गया कि वादीगण के पिता का नाम जरिए ग्राम रास के नामान्तरण संख्या 925 दिनांक 27.02.1974 प्रार्थी के दादा हजारी पुत्र हरजी के फौत होने पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय मांगू, पेमा, भीका, काना पि0 हजारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। शिविर में उपस्थित मौतबिरान एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा– जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पाटन के खसरा संख्या 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3071, 3073, 3074 में दर्ज नाम मांगू पुत्र हजारी के स्थान पर ''कालूराम पुत्र हजारी'' दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

3. साक्ष्यवादी में वादी छोटूराम ने साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु। प्रस्तुत कर शपथ पत्र पर वादपत्र में उल्लेखित कथनो एवं तथ्यो का समर्थन किया तथा दस्तावेजात् प्रदर्श करवाए। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 14 ग्राम रास की नामान्तरण पंजिका के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार हजारी पुत्र हरजी के फौत होने पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

विरासतन नामान्तरण संख्या 925 दिनांक 27.02.1974 द्वारा वारीसन मांगु, पेमा, भीका, काना पि. हजारी दर्ज किया गया। प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, प्रदर्श 16 व 17 जमाबंदी ग्राम रास द्वितीय संवत् 2032 से 2035, प्रदर्श 18 व प्रदर्श 19 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादीगण के पिता का मांगु वल्द हजारी दर्ज है। प्रदर्श 13ए ग्राम पंचायत बगतपुरा मण्डी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जो कालूराम पुत्र हजारीराम के नाम से जारी है। प्रदर्श 2ए ग्राम पंचायत रास द्वारा जारी कालूराम पुत्र हजारीराम का जॉब कार्ड जिसमें वादीगण बतौर कालूराम के पुत्र के रूप में दर्ज है, इसी प्रकार प्रदर्श 3ए कालूराम पुत्र हजारीराम का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, प्रदर्श 4ए कालूराम पुत्र हजारीराम का आधार कार्ड, प्रदर्श 5ए कालूराम पुत्र हजारीराम का पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लीप, प्रदर्श 6ए कालूराम पुत्र हजारी की स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक डायरी, प्रदर्श 7ए कालू पुत्र हजारी रेगर निवासी ढाणी पाटन के नाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी विद्युत विपत्र, प्रदर्श 8ए कालूराम पुत्र हजारीराम का परिवार राशन कार्ड में वादी के पिता व पति का नाम कालू पुत्र हजारी एवं कालूराम पुत्र हजारी राम दर्ज है, प्रदर्श 21ए दाकुडी देवी पत्नी कालूराम का आधार कार्ड, प्रदर्श 12ए बुद्धाराम पुत्र कालू का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, प्रदर्श 11ए छोटूराम पुत्र कालू का आधार कार्ड।

4. इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान मजमें आम में तैयार मौका फर्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार हजारी पुत्र हरजी के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 925 दिनांक 27.02.1974 की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार हजारी के वारीसान के सही एवं वास्तविक नाम की जांच किए बिना केवल प्रचलन के आधार पर नाम दर्ज किए गए तथा मांगू, पेमा, भीका, काना पि. हजारी दर्ज किया गया। जिनमें से मांगू जो कि वादी संख्या 1 व 2 का पिता तथा वादी संख्या 3 का पति है, का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम कालूराम पुत्र हजारीराम है। हजारीराम के मांगू नाम का कोई पुत्र नही है। अतः फौतेदगी नामान्तरण संख्या 925 की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार हजारी पुत्र हरजी के वारिसान के तौर पर कालूराम पुत्र हजारीराम का नाम दर्ज नही कर इसका गलत नाम बिना किसी आधार के मांगु पुत्र हजारी दर्ज कर दिया गया, जो कि विलोपन योग्य है अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में गलत रूप से दर्ज प्रविष्टि मांगु पुत्र हजारी को विलोपित करते हुए खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम कालूराम पुत्र हजारीराम दर्ज करते हुए शेष प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए कालूराम पुत्र हजारीराम को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में [illegible] वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील-जैतारण जिला-पाली के खसरा नम्बर खसरा संख्या 3062 रकबा 33-05 बीघा, खसरा संख्या 3063 रकबा 0-04 बीघा गै.मु.बेरा, खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

3064 रकबा 02–05 बीघा, खसरा संख्या 3065 रकबा 01–18 बीघा, खसरा संख्या 3066 रकबा 02–06 बीघा, खसरा संख्या 3067 रकबा 01–12 बीघा, खसरा संख्या 3068 रकबा 02–02 बीघा, खसरा संख्या 3071 रकबा 09–18 बीघा, खसरा संख्या 3073 रकबा 12–19 बीघा, खसरा संख्या 3074 रकबा 10–19 बीघा कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 77–08 बीघा तथा खसरा संख्या 2870 रकबा 08–18 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''मांगु पुत्र हजारी'' को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''कालूराम पुत्र हजारीराम''** दर्ज करते हुये शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए कालूराम पुत्र हजारीराम कौम रेगर को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार अभिधारी घोषित करते हुए इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 103/2020
GCMS No. : 2020/00273

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. बुद्धाराम पुत्र कालूराम 2. छोटूराम पुत्र कालूराम 3. दाकूड़ी देवी बेवा कालूराम जाति रेगर निवासी पाटन (बगतपुरा मण्डी), तहसील –जैतारण, जिला–पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :–रा0वा0 स0: 103/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील–जैतारण जिला–पाली के खसरा नम्बर खसरा संख्या 3062 रकबा 33–05 बीघा, खसरा संख्या 3063 रकबा 0–04 बीघा गै. मु.बेरा, खसरा संख्या 3064 रकबा 02–05 बीघा, खसरा संख्या 3065 रकबा 01–18 बीघा, खसरा संख्या 3066 रकबा 02–06 बीघा, खसरा संख्या 3067 रकबा 01–12 बीघा, खसरा संख्या 3068 रकबा 02–02 बीघा, खसरा संख्या 3071 रकबा 09–18 बीघा, खसरा संख्या 3073 रकबा 12–19 बीघा, खसरा संख्या 3074 रकबा 10–19 बीघा कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 77–08 बीघा तथा खसरा संख्या 2870 रकबा 08–18 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''मांगु पुत्र हजारी'' को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''कालूराम पुत्र हजारीराम''** दर्ज करते हुये शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए कालूराम पुत्र हजारीराम कौम रेगर को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित करते हुए इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी ....की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05	-00	मिजानः-	—Nil—	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
सैलाना, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested